

अनुमति की शर्तें।

- (i) सार्व भवन/सुधारण के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विभाग (पब्लिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विभाग किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही अपेक्षक विभाग को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृता नक्शे को विपरीत निर्माण पावे जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल (डी.डी) केवल आवासीय प्रयोजनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 105 दिनांक 21/07/2019

जी + 1
आवासीय

पार्सी उम्मेद सिंह गहलोत 310 मी 413 मी की

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

भाग 192 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8,000/-

जसिये रसीद संख्या 1028/702,529

दिनांक 22/07/19 को जमा करा दो है।

P.No: 256/16 का पूर्वी हिस्सा

असल नम्बर 733 ग्राम खेड

का कुँआ

(Signature)

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

(Signature)
27/07/19

9799 38888